रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2014/ज्येष्ठ 13, 1936
No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2014/JYAISTHA 13, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2014

फा. सं. 2–15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई.–खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिनको केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2014 है।
   (2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में सामान्य खाद्य नमक से संबंधित विनियम 2.9.30 के उपविनियम (5) में,
   (क) "शुष्क आधार पर न्यूनतम 99.0 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड" शब्दों और अंको के पश्चात्, "जब सुदृढीकरण के लिए लौह सल्फेट का उपयोग किया जाता है; जब सुदृढ़ीकरण के लिए लौह फ्यूमरेट का उपयोग किया जाता है शुष्क भार के आधार पर 99 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड अंतर्वस्तु" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) सारणी में,–

(i) $p_2 o_5$ के रूप में फास्फोरस से संबंधित प्रविष्टियों के सामने, "प्रति दस लाख में 3100 भाग से अधिक नहीं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) 5 प्रतिशत जलीय विलयन में 5 प्रतिशत में पीएच मूल्य के सामने प्रविष्टियों के सामने, "3.5 से 7.5 प्रविष्टियां रखी जाएंगी";

(ग) परंतुक में, "स्थिरक के रूप में शुष्क भार आधार पर 1.0 प्रतिशत से अनधिक सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट (खाद्य श्रेणी) संकेन्द्रण" शब्दों और अंकों के स्थान पर," परिशिष्ट क में अनुज्ञात खाद्य योजक और हाइड्रोक्सिड प्रोफिल मिथाइल सेलूलोज, टाइटेनियम डाइआक्साइड, पूरी तरह से हाइड्रोजनिकृत सोयाबीन तेल तथा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट (सभी खाद्य श्रेणियां) जीएमपी से अनधिक संकेन्द्रित तथा शुष्क भार आधार पर दो प्रतिशत से अनधिक एंटीकेकिंग एजेंट और जल में घुलनशील पदार्थ जहां एंटीकेकिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है 2.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा "शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगें।

[विज्ञापन–III/4/असाधारण/191एफ/14]
डी. के. सामंतराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण.—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2–15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:–

(i) फां स. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013
(ii) फां स. पी.15014/2011–पीएफएआई, तारीख 27 जून, 2013
(iii) फां स. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013